न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 20/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/28
अपीलार्थी :–
हरजीराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी रावतसर (पाबूसर), तहसील शेरगढ, ज़िला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थी :–
तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.02.2008 तहसीलदार शेरगढ कमांक भू.अ. /2008/493 में पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या– 21/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/27
अपीलार्थी :–
पूनाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी रावतसर (पाबूसर), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थी :–
तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.02.2008 तहसीलदार शेरगढ कमांक भू.अ. /2008/485 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री श्याम सिंह भाटी (प्रार्थी टीकूराम व ग्राम पंचायत रावतसर वर्तमान राजस्व ग्राम लाखासर की ओर से)

निर्णय **दिनांक 15.10.2025**

1. उपरोक्त विवरण की दोनों अपीले, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत तहसीलदार, शेरगढ द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 55 (समर्पण) के अंतर्गत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पारित आदेश दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध दिनांक 22.04.2024 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में पेश की गई, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 01.07.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. उक्त दोनों अपीलों में समान तथ्य, समान विधिक प्रश्न तथा समान आक्षेपित विषयवस्तु अंतर्वलित होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही समान निर्णय से उभयपक्षों की सहमति से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. अपील सं. 20/2024 (हरजीराम बनाम सरकार) के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ग्राम रावतसर, तहसील शेरगढ में खसरा सं. 992/2 रकबा 2–11 बीघा तथा 812/1 रकबा 13–08 बीघा खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। अपीलांट का कथन है कि उक्त खसरा नंबरान की भूमि में से उसने कभी भी भूमि का समर्पण नहीं किया है, फिर भी दिनांक 29.02.2008 को तहसीलदार, शेरगढ ने आदेश क्रमांक भू.अ./2008/493 दिनांक 29.02.2008 से अपीलांट को सुनवाई का अवसर/नोटिस दिये बिना रास्ते हेतु समर्पित करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट ने ग्राम लाखासर में कटाण रास्ते व राजस्व ग्राम के लिए भूमि नहीं दी है, न ही उस समय नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम की हुई थी। बिना तरमीम किये हुए यह ज्ञात नहीं होता है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि कहां आई हुई है। इस प्रकार कानूनन समर्पण नहीं किया जा सकता, फिर भी गैर कानूनी रूप से समर्पण का आदेश पारित किया है। समर्पण से पहले अपीलांट ने धारा 56 के तहत लैण्ड होल्डर को नोटिस नहीं दिया था। सन् 2008 को जारी समर्पण आदेश का आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। संपूर्ण आराजी का कब्जा अपीलांट के पास ही है तथा भूमि धारक को समर्पित बताई भूमि का कब्जा अपीलांट ने सुपुर्द नहीं किया है। आदेश दिनांक 29.02.2008 की पालना करने हेतु तहसीलदार व पटवारी मौके पर आने पर, दिनांक 09.04.2024 को तहसील जाकर आक्षेपित आदेश की नकल लेने पर, समर्पण आदेश की जानकारी हुई है तथा जानकारी की तारीख से अपील अंदर म्याद पेश की जा रही है, जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 29.02.2008 को अपास्त किया जावे। अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

4. अपील सं. 21/2024 (पूनाराम बनाम सरकार) के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ग्राम रावतसर के खेत खसरा सं. 992/4 रकबा 2–11 बीघा तथा ख.नं. 812/3 रकबा 13–17 बीघा खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि में से तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक/भू.अ./2008/485 दिनांक 29.02.2008 से अपीलांट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को सुने बिना/नोटिस दिये बिना, भूमि का समर्पण आदेश पारित किया गया है। शेष सभी कथन, उक्त अपील सं. 20/2024 (हरजीराम बनाम सरकार) के समान है, जिसकी पुनरावृति करने का कोई औचित्य नहीं है।

5. तहसीलदार, शेरगढ से आक्षेपित आदेशों से संबंधित पत्रावलियां तलब की गई।

अपील सं. 20/2024 (हरजीराम बनाम सरकार) के प्रकरण में ग्राम रावतसर के खसरा नंबर 992/2 रकबा 2–11 बीघा भूमि में से 8 बिस्वा भूमि तथा ख.नं. 812/1 रकबा 13–08 बीघा भूमि में से 11 बिस्वा भूमि का समर्पण आदेश क्रमांक भू.अ./2008/493 दिनांक 29.02.2008 से स्वीकार किया गया है। पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2008 उपलब्ध है, जिस पर हरजीराम का अंगूठा का निशान है तथा जेठाराम ने पहचान की है, जिसके संलग्न भूमि समर्पण पत्र भी है, जिस पर हरजीराम का अंगूठा व जेठाराम की पहचान व हरजीराम का फोटो लगा हुआ है तथा तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रमाणित है। समर्पण पत्र के संलग्न ग्राम रावतसर का मूल ख.नं. 812 व 992 का नक्शा किश्तवार है, जिस पर टीकूराम, किशनाराम, पूनाराम के हस्ताक्षर व हरजीराम एवं भगाराम का अंगूठा है तथा जेठाराम, पहचानकर्ता है तथा नक्शा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है परंतु ख.नं. 812 में तरमीम की हुई नहीं है अर्थात् ख.नं. 812/1 तथा 812/3 की भूमि मूल ख.नं. 812 में कहां पर स्थित है तथा उसमें से किस नाप व पडौस की भूमि कहां पर समर्पित की जा रही है, इसका कोई डिमार्केशन लाल स्याही से नक्शे में किया हुआ नहीं है। इसी प्रकार ख.नं. 992 में भी, ख.नं. 992/2, 992/4 की भूमि की भी नक्शा में तरमीम की हुई नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ख.नं. 992/4 व 992/2 की भूमि, ख.नं. 992 में कहां पर स्थित है तथा ख.नं. 992/2 व 992/4 में से किस हिस्से की व कितने नाप की भूमि समर्पित की जा रही है।

अपील सं. 21/2024 में भी उक्त नक्शा ही लगा हुआ है, जिसमें ख.नं. 812 व 992 में तरमीम की हुई नहीं है, फिर भी अपीलांट पूनाराम की ख.नं. 812/3 की 10 बिस्वा भूमि तथा 992/4 में से 8 बिस्वा भूमि को समर्पित करने का आदेश पारित किया गया है अर्थात् समर्पित की गई भूमि नहीं पहचानी जा सकती।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ख.नं. 812 का सन् 2004 में विभाजन होने पर अपीलांट हरजीराम के पक्ष में ख. नं. 812/1 की भूमि तथा अपीलांट पूनाराम के बंट में ख.नं. 812/3 की भूमि दी गई। इसी प्रकार ख.नं. 992 में से 992/2 की भूमि हरजीराम को तथा ख.नं. 992/4 की भूमि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पूनाराम को बंट में दी गई। उक्त भूमियों में से भूमि समर्पित करने का इरादा रखते हुए धारा 56 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत नोटिस भूमि धारी को अपीलांट्स ने कभी भी नहीं दिया है, जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है। फिर भी तहसीलदार शेरगढ ने अपनी मर्जी से दिनांक 29.02.2008 को आक्षेपित आदेशों से भूमि समर्पित के आदेश पारित किये है, जो गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट्स ने कभी भी रास्ते के लिए भूमि का समर्पण नहीं किया है। पत्रावली में जिस नक्शें में समर्पण बताया है, उसमें बंटवाडे की तरमीम ही नहीं है। नक्शें में ख.नं. 812 व 992 को दो भागों में बांटा हुआ लाल स्याही से बताया है, जबकि बंटवाडा सन् 2004 में ही हो चुका था तथा वर्तमान में नक्शें में ख.नं. 812 के पांच टुकडे दर्शाए है। इसी प्रकार ख.नं. 992 के भी चार टुकडे बताए है, जिसका समर्पण पत्र के संलग्न बिना तरमीम वाले नक्शें में दर्शाई समर्पित भूमि का किसी भी प्रकार से तालमेल ही नहीं है। चूंकि समर्पणनामा की तरमीम नहीं हुई है, समर्पण रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। अतः प्रथमतः समर्पणनामा आदेश निरस्त किया जावे, यदि निरस्त नहीं किया जा सके तो विकल्प के रूप में यदि रास्ता देना ही चाहते है तो अपीलांट के खेत की मेड़ से रास्ता दे दिया जावे, तद्नुसार तरमीम कर दी जावे, आपत्ति नहीं हैं लेकिन खेत के टुकडे नहीं किये जावे।

8. उक्त दोनों अपीलों में ग्राम पंचायत लाखासर व अपीलांट्स के भाई टीकूराम (ख.नं. 812/4 के खातेदार) ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, इन अपीलों में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करने की प्रार्थना की है तथा कथन किया है कि अपीलांट्स ने आक्षेपित आदेश से रास्ता के लिए भूमि का समर्पण किया है तथा ग्राम पंचायत ने समर्पित भूमि पर ग्रेवल सडक का निर्माण भी कराया है तथा स्कूल के लिए भूमि का समर्पण किया है। उक्त प्रयोजन सार्वजनिक हित के होने से प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति है। अतः उन्हे सुनने का अवसर प्रदान किया जावे। लेकिन ग्राम पंचायत ने आक्षेपित समर्पित भूमि को ग्राम पंचायत के पक्ष में समक्ष प्राधिकारी द्वारा आवंटित होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। तहसीलदार, शेरगढ़ से प्राप्त पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

10. तहसीलदार, शेरगढ ने आदेश कमांक भू.अ./2008/493 व 485 दिनांक 29.02.2008 से ग्राम रावतसर के ख.नं. 812/1 में से 11 बिस्वा तथा 992/2 में 08 बिस्वा (अपीलांट हरजीराम) भूमि तथा ख.नं. 812/3 में से 10 बिस्वा तथा ख.नं. 992/4 में से 8 बिस्वा भूमि का (अपीलांट पूनाराम की) समर्पण स्वीकार कर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 55

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के तहत भूमि बहक सरकार कब्जा लिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक विला कब्जा दर्ज करने के आदेश पारित किये है तथा आदेशों में हरजीराम व पूनाराम द्वारा उक्त विवरण की भूमि समर्पित करने का आवेदन पत्र पेश करने का उल्लेख किया गया है।

11. प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 21.05.2025 को उक्त ख.नं. की मौका रिपोर्ट, जो तहसीलदार शेरगढ व पटवारी पाबूसर द्वारा तैयार की गई है, की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके अनुसार ख.नं. 812/1, 812/3 की भूमि दिनांक 29.02.2008 को अपीलांट्स द्वारा समर्पित करना बताया है तथा समर्पित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक डालना भी बताया है तथा न्यायालय का स्थगन आदेश होने से नामांतरकरण दर्ज नहीं होना भी कथित किया है। उक्त रिपोर्ट सहायक कलक्टर (एसडीओ) शेरगढ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 32/2023 (हरजीराम बनाम टीकूराम) बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में पेश की गई है।

उक्त राजस्व वाद में राज्य सरकार की ओर से दिनांक 05.04.2024 को, नायब तहसीलदार, शेरगढ ने जवाब पेश कर कथन किया है कि समर्पण आदेश दिनांक 29.02.2008 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया हुआ है तथा स्थगन आदेश विड्रो करने की प्रार्थना की है। उक्त राजस्व वाद दिनांक 03.07.2023 को दर्ज हुआ है तथा जमाबंदी में ख.नं. 812/3 पर दिनांक 04.07.2023 को स्टे का नोट लगाया है अर्थात् दिनांक 29.02.2008 से 03.7.2023 तक अर्थात् 15 वर्ष से भी अधिक अवधि तक में समर्पण आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद क्यों नहीं किया गया है, यह विचारणीय प्रश्न है तथा अब मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2025 में स्टे ऑर्डर होने के कारण, अमल दरामद नहीं होने का कथन किया जा रहा है। उक्त तथ्यों पर गौर करना जरूरी है।

12. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 55 के अंतर्गत कोई भी आसामी (टिनेंट) कब्जा छोडते हुए एक लेखपत्र, जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो, के द्वारा अपने भूमि क्षेत्र को समर्पित कर सकता है तथा धारा 56 (2) के प्रावधान अनुसार, आसामी व भूमिधारी की सहमति होने पर, तीस दिन की अवधि का अग्रिम नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स का धारा 56 के तहत नोटिस नहीं देने का कथन मानने योग्य नहीं है। नोटिस नहीं देने से राजस्व हानि भूमिधारी (राज्य सरकार) को होने की संभावना है। आसामी को कोई हानि नहीं होती है।

13. माननीय राजस्व मण्डल (F.B.) ने LRs of सरजु राव बनाम अमृत लाल व अन्य 2018 आरबीजे 59 : 2018 आरआरडी 75 में पारित निर्णय के पैरा सं. 35 में मोहम्मद नूर व अन्य

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बनाम मोहम्मद इब्राहिम व अन्य– (1994)5 एससीसी 562 (उच्चतम न्यायालय) में निर्णय का पैरा सं. 4 व 5 का संदर्भ लेते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"The above observation of the Hon'ble Supreme court are also complete answers to the arguments raised before us, that after enactment of the various land laws post independence, the true owner of agricultural holdings is the state government and the khatedars have limited ownership therein. As a matter of fact, the relinquishment of possession by a tenant doesn't ensure to the benefit of a tresspasser against the true owner so as to accept his claim for adverse possession (2011(1) RRT 575 Chatti Konati Rao & Anr. VS Palle Venkata Subha Rao.)

उक्त विधिक स्थिति अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानानुसार एक टिनेंट, राज्य सरकार (भूमिधारी) से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि, वार्षिक लगान अदा करके धारण करता है तथा राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 7 के अंतर्गत भूमिधारी राज्य सरकार, तहसीलदार के माध्यम से कार्य करता है। इसी प्रावधान के कारण धारा 55 के अंतर्गत एक आसामी, अपने कब्जे की भूमि का समर्पण, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को समर्पण पत्र पेश करके करता है तथा समर्पण के पहले भूमिधारी को एक माह का अग्रिम नोटिस धारा 56 के अंतर्गत इसलिए देना जरूरी है ताकि तहसीलदार समर्पित भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को लगान पर दे सके तथा भूमिधारी को लगान राशि की हानि नहीं हो। अगर भूमिधारी, नोटिस के बिना ही समर्पण पत्र स्वीकार कर लेता है तो धारा 56(2) के प्रावधानों के अनुसार, वह स्वीकार्य है तथा अगर कोई भूमिधारी, अग्रिम नोटिस से असंतुष्ट है तो वह धारा 58 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर में, आसामी के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। (एक्ट की तृतीय अनुसूची, भाग– I, आईटम 4) इस प्रकार, आसामी को समर्पित भूमि के विवाद बाबत, समर्पण आदेश के विपरीत अपील करने का कोई प्रावधान कानून में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर ने घीसा व अन्य बनाम बालू व अन्य (1991 आरआरडी 234) में पारित निर्णय के पैरा सं. 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"10. However learned counsil for the applicant is right in saying that no appeal is provided against an order passed under section 55 of

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Rajasthan Tenancy Act 1955. Under the circumstances of the case, the appeal before the Additional Collector could not have been filed under section 75 of the LR Act because the order of the Tehsildar is obviously under Tenancy Act. Section 225 of the R.T. Act provides for a first appeal to the collector against an order passed by the Tehsildar but the appeal lies from an order passed on an application of the nature specified in Schedule III. In the III Schedule, there is no entry so far as section 55 of the R.T. Act is concerned. Therefore, the contention that no appeal lay to the Additional collectore against the order passed by the Tehsildar on 11-11-82 is correct.

The order passed by the learned Additional Collector and the learned RAA will therefore to be set aside and the case will have to be remanded to the Tehsildar.

12. In view of the above, the revision is accepted and the order passed by RAA, Ajmer on 29-03-89 and the Additional Collector, Tonk dated 31-03-89 are hereby set aside and the case is remanded to the Tehsildar who shall make a thorough enquiry as to whether the application for surrender was or was not filed by non applicant Balu.

The learned Tehsildar will also look into consideration, the circumstances, mentioned in para-7 above. The Tehsildar will give an opportunity to both parties to produce evidence. The parties are directed to appear before Tehsildar Malpura, District Tonk on 30.04.91."

14. इस प्रकार समर्पण करना एक तथ्य है तथा इसे बारीकी जांच से प्रमाणित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा टिनेंट अपनी कृषि भूमि पर के अधिकार, स्वत्व, हक इत्यादि हमेशा–हमेशा के लिए खो देता है। अतः समर्पण स्वीकार करने से पूर्व वांछित विधिक प्रक्रिया का कडाई से पालन किया जाना चाहिए। इस कार्य को रूटीन में नहीं किया जा सकता ताकि गलत तरीके से भूमि का समर्पण कर, लगान अदा करने के दायित्व से टिनेंट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मुक्त नहीं हो सके। समर्पण स्वेच्छा से होना चाहिए। समर्पित भूमि का कब्जा सौंपा जाना आवश्यक है। समर्पण का लेख्य पत्र लिख देने मात्र से, कब्जा राज्य सरकार को सुपुर्द किया जाना नहीं माना जा सकता।

15. इस प्रकरण में भूमिधारी के प्रतिनिधि, तहसीलदार शेरगढ स्वयं द्वारा माना गया है कि समर्पित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है तथा सरकार ने आसामी से कब्जा भी नहीं प्राप्त किया है, जबकि समर्पण आदेश की प्रति दिनांक 29.02.2008 को ही संबंधित हल्का के पटवारी व तहसील राजस्व लेखाकार, शेरगढ को दी गई है ताकि समर्पित भूमि का लगान भी ढालबांछ प्रमाणित करते समय कम किया जा सके।

16. तहसीलदार, शेरगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2008, राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 55 के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किया है। टिनेंसी एक्ट 1955 के संलग्न अनुसूची तीन में धारा 55 बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आईटम का प्रावधान नहीं है। धारा 225 के अंतर्गत, तहसीलदार द्वारा अनुसूची में वर्णित आईटमों से संबंधित, पारित आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपील कलक्टर को पेश करने का प्रावधान है, परंतु अनूसूची 3 में धारा 55 से संबंधित कोई प्रविष्टि सम्मिलित नहीं होने के कारण इस न्यायालय की विनम्र राय में इस न्यायालय को धारा 55 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध अपील को सुनने व ग्रहण करने की धारा 225 के अंतर्गत अधिकारिता नहीं है। ऐसा ही मत (Supra) माननीय राजस्व मण्डल द्वारा घीसा व अन्य बनाम बालु व अन्य (1991 आरआरडी 234) में प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय में दी गई व्यवस्था के अनुसार, प्रकरण को तहसीलदार, शेरगढ ही सुन सकते है।

17. चूंकि धारा 55 के अंतर्गत समर्पण आसामी द्वारा सामान्यतः स्वेच्छा से किया जाता है तथा भूमिधारी व आसामी की आपसी समति से ही समर्पण स्वीकार किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के प्रावधानानुसार, आपसी सहमति के आधार पर पारित डिक्री/निर्णय के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

इसी प्रकार, अगर सहमति गलत तरीके से प्राप्त की गई है, तो ऐसी सहमति के आधार पर पारित आदेशों के विरूद्ध अपील का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे निर्णयों के विरूद्ध उपचार, मात्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में ही उपलब्ध है तथा ऐसे आदेशों को अपास्त करने का Recall प्रार्थना पत्र भी उसी न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जिसने ऐसी सहमति के आधार पर विवादास्पद निर्णय पारित किया है। यह पक्षकारों का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सांविधिक अधिकार है। ऐसा ही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं. 14328/2024 (नवरतन लाल शर्मा बनाम राधामोहन शर्मा व अन्य) में दिनांक 12.12.2024 को पारित किया है।

18. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें, उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 को इस न्यायालय द्वारा निस्तारण करना आवश्यक नहीं है तथा अपील भी गुणावगुण पर विचार किये बिना ही अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

19. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है। फलस्वरूप ग्राम पंचायत रावतसर व टीकूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

20. अपीलांट्स आदेश 23 नियम 3 सीपीसी 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत, तहसीलदार शेरगढ के समक्ष या विधि में उपलब्ध अन्य उपचारों के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

21. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।

22. स्थगन प्रार्थना पत्र व प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर